



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, पुलिस अधीक्षक, कोण्डागॉव द्वारा कोण्डागॉव जिले के दक्षिण कोण्डागॉव वन मंडल अंतर्गत कक्ष क्रमांक 773 पी में से 5.00 हे. वन भूमि फिल्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेन्टर निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम – 1980 अंतर्गत प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 16/09/2016

स्थान: रायपुर


(बी.एल सरम)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़